E. mail

संख्या– 309 /अड़तीस–9–2012–02(बजट)/2011टी.सी

प्रेषक,

गिरजा शंकर त्रिवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 21 मई, 2012

विषयः नवनिर्वाचित मा0 सदस्य विधान परिषद को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यो हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यो हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू0 2,02,88,42,000=00(रूपये दो अरब दो करोड़ अठ्ठासी लाख बयालिस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या–242/अड़तीस–9–2012–02(बजट)/2011टी.सी, दिनांकः 09–05–2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय माह मई, 2012 में 13 नवनिर्वाचित विधान परिषद के मा0 सदस्यों को भी संलग्नक के अनुसार अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यो हेतु प्रति सदस्य रू0 41,66,000=00 (रूपये एकतालिस लाख छाछठ हजार मात्र) की दर से कुल रूपये 5,41,58,000=00 (रूपये पांच करोड़ एकतालिस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1.) उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानों तथा इस निमित्त समय–समय पर जारी शासनादेश के अनुसार ही किया जायेगा।

(2.) सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने–अपने सम्बन्धित विधान परिषद के मा0 सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–"4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूॅजीगत परिव्यय–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय–03–विधायक निधि–42–अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–3520/10–2011–231/2012, दिनॉक 16.12.2011 तथा शासनादेश संख्या–बी–1–547/10–2012–231/2012 दिनॉक 20–03–2012 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
21/05/2012
(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव।

D:\G.S.T-9\GO.doc

संख्या– 309 (1)/अड़तीस–9–2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1.) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2.) महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3.) मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
(4.) प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5.) प्रमुख सचिव, विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
(6.) निजी सचिव, मा0 सभपति, विधान परिषद।
(7.) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(8.) अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(9.) सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10.) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1
(11.) नियोजन अनुभाग–3/ग्राम्य विकास अनुभाग–3
(12.) गार्डबुक
(13) वेब मास्टर ग्राम्य विकास विभाग

आज्ञा से,

21/05/12

(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या ३०१ /अड़तीस–9–2012–02 बजट/2011टी.सी.
दिनांक २१ मई, 2012 का संलग्नक

क0सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
1.	श्री अखिलेश यादव	सम्पूर्ण उ0प्र0	इटावा	41.66
2.	श्री अम्बिका चौधरी	तदैव	बलिया	41.66
3.	श्री उमर अली खॉ	तदैव	सहारनपुर	41.66
4.	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	तदैव	अलीगढ़	41.66
5.	श्री नरेश चन्द्र उत्तम	तदैव	फतेहपुर	41.66
6.	श्रीमती मधु गुप्ता	तदैव	लखनऊ	41.66
7.	श्री महेन्द्र कुमार सिंह	तदैव	लखनऊ	41.66
8.	श्री चौधरी मुश्ताक	तदैव	मुजफ्फरनगर	41.66
9.	श्री राजेन्द्र चौधरी	तदैव	गाजियाबाद	41.66
10.	श्री राम सकल गुर्जर	तदैव	आगरा	41.66
11.	श्री विजय	तदैव	गाजीपुर	41.66
12.	डा0 विजय प्रताप	तदैव	आजमगढ़	41.66
13.	श्री सुनील कुमार	तदैव	आगरा	41.66
			योगः–	541.58

(कुल रूपये पांच करोड़ एकतालिस लाख अठ्ठावन हजार मात्र)

२१/०५/२०१२
(गिरजा शंकर त्रिवेदी)
उप सचिव।